Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० 1006/OA-915/20
Ref. No. ....

दिनांक 13/03/2020
Date..........................20

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Regarding Submission of Compliance Report pursuant to the order date 31-10-2019 in O.A. No. 915/2019 in the matter of Ravi Sharma, MLA, Jhansi versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

In Compliance of order dated 31-10-2019 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No 915/2019 in the matter of Ravi Sharma, MLA, Jhansi versus State of Uttar Pradesh the Compliance report is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours faithfully,

(Niranjan Sharma)
Regional Officer

Encl: As above

C:\Users\welcome\Desktop\R.O Jhansi.docx

उ. प्र. आवास विकास कालौनी, (तालपुरा योजना) कानपुर रोड, झाँसी– 284001
U. P. Avas Vikas Colony (Talpura Yojana) Kanpur Road, Jhansi (U.P.) - 284001

Inspection Report in the matter of Hon'ble NGT original Application No-915/2019 (Ravi Sharma, MLA, Jhansi Versus State of Uttar Pradesh)

The Hon'ble NGT has passed the Order dated 31.10.2019 in the matter of O.A. No 915/2019 (Ravi Sharma, MLA, Jhansi Verses State of Uttar Pradesh), operative part of which is mentioned below –

".......Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in."

In compliance of above mentioned order, the M/s Medical Pollution Control Committee, (CBMWTF), Growth Center, Industrial Area, Bijoli, Jhansi has been inspected by undersigned on 03.03.2020 in presence of Mr. Shailendra Bajpai, Manager of the CBMWTF, the facts and observation based on inspection are mentioned below –

1. CBMWTF was established in 2011 with the consent of State Board, which was not found operation during inspection due to repair and maintenance of Incineration Plant as per the representative of unit.
2. The capacity of installed double chamber incinerator is 100.0 Kg/Hour, 01 Autoclave of capacity 50.0 Kg/Batch and a Shredder- 50.0 Kg/Batch. As per record made a available by the unit 18.58 MT Bio Medical Waste has been incinerated by this unit.
3. At the time of inspection it is found that disposal of Bio Medical Waste collected by various Hospitals and HCFs is improper. The UPPCB has issued the show cause notice under section-5 of the Environmental (Protection) Act 1986 on date 05.03.2020.
4. UPPCB has issued the show cause notice to impose the Environmental Compensation of Rs. 3,60,000.00 period up to 28.01.2020 against improper handling and disposal of Bio Medical Waste by letter dated 28.02.2020.
5. During the inspection it has observed that the plant machinery of said CBMWTF is under modernization/renovation stage and not in a position to perfect working. Partially incineration of Bio Medical Waste is being disposed through improper temperature.
6. A large quantity of BMW which was transported from various hospitals and other HCFs in previous days but due to improper handling, disposal and incineration it was stored at various places in (dry-wet condition) with in CBMWTF premises. The dry-wet BMW is being transported to sister concern unit at Panki, Kanpur by the Truck No-MP33 H3173 without prior permission of UPPCB.
7. The ETP is not functional and ash of incinerated bio medical waste is not being stored as per Hazardous Waste Rule, 2016 and ash throwing out side the premises improperly.

During the inspection observed that the foul smell, odour and public nuisance problem is present in atmosphere due to irregular activity of CBMWTF regarding bio medical waste treatment.

The inspection report is submitted for kind consideration.

07/03/2020
(V.K. Dubey)
Assistant Environmental Engineer

Regional Officer

07/03/2020

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. 48308 / सी-2 / B.M.W-26 / निदेश / 2020 दिनांक / Date 28-2-2020

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली,
जनपद–झाँसी।

विषय:– मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली, जनपद–झाँसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली, जनपद–झाँसी का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार वैज्ञानिक तरीके से भष्मीकरण कार्य पूर्णतया बंद पाया गया तथा विभिन्न जनपदों में स्थित सरकारी अस्पाताल, मेडिकल कालेज तथा अन्य नर्सिंग होम से परिवहन कर लाये गये बायो मेडिकल वेस्ट को पालीथिन में बंद कर एकत्रित किये जाने तथा परिसर में यत्र तत्र भण्डारित किया जाता पाया गया। अत्यधिक मात्रा में एकत्रित बायो मेडिकल वेस्ट के कारण आस पास के क्षेत्र में अत्यन्त बदबू एव पब्लिक न्यूसेंस की समस्या पायी गयी जो कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण नियम 2016 का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। उद्योग में बायोमेडिकल फेसिलिटी का प्रभावी संचालन अक्टूबर 2019 से अब तक नही हो पाया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ०ए० सं० 710–713 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुसार आदेशित है कि– further, in any case minimum Environmental Compensation in respect to Common Biomedical Waste Treatement Facility shall not be less than Rs. 3000/- per day.

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या व संस्तुति दिनांक 04.02.2020 के अनुसार उद्योग पर 01.10.2019 से निरीक्षण दिनांक 28.01.2020 तक की अवधि (कुल 120 दिन) हेतु प्रतिदिन रू 3000 / – की दर से रू0 3,60,000 / – (रू0 तीन लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली, जनपद–झाँसी** पर रू 3000 / – की दर से रू0 3,60,000 / – (रू0 तीन लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के सबध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू 3000 / – की दर से रू0 3,60,000 / – (रू0 तीन लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

प्राप्त किया
02/3/2020

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

.....2.......

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को कारण बताओ नोटिस की प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात उद्योग का पुनः निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस के निर्देशों के सम्बंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समयावधि में मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H48567
Ref. No .... /पी-2/BMW/-26/ झाँसी /2020

दिनाँक
Date 05-3-2020

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली,
जनपद–झाँसी।

यह कि **मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली, जनपद–झाँसी** जोकि चिकित्सीय संस्थान के रूप में उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–16 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि **मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली, जनपद–झाँसी** का स्थल निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2020 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 31.01.2020 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी झांसी का भष्मीकरण संयंत्र रिपेयर एवं मेटीनेंस तथा मोडिफिकेशन अन्तर्गत पाया गया जिसके कारण वैज्ञानिक तरीके से भष्मीकरण कार्य पूर्णतया बंद पाया गया। तथा विभिन्न जनपदों में स्थित सरकारी अस्पाताल, मेडिकल कालेज तथा अन्य नर्सिंग होम से परिवहन कर लाये गये बायो मेडिकल वेस्ट को पालीथिन में बंद कर एकत्रित किये जाने तथा परिसर में यत्र तत्र भण्डारित किया जाता पाया गया। अत्यधिक मात्रा में एकत्रित बायो मेडिकल वेस्ट के कारण आस पास के क्षेत्र में अत्यन्त बदबू एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या पायी गयी जो कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण नियम 2016 का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। निरीक्षण के समय प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का रखरखाव एवं संचालन समुचित नही पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 31.01.2020 द्वारा इकाई के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 सपठित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त संदर्भित इकाई को को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैः–

1. यह कि **मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, जी–4, ग्रोथ सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली, जनपद–झाँसी** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, झाँसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को कारण बताओ नोटिस की प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात उद्योग का पुन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस के निर्देशों के सम्बंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समयावधि में मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner